

INDIA NON JUDICIAL



IN-UP46696161523047W

e-Stamp

RAVINDER KUMAR L.NO.- 30

ACC- UP14084904/MODINAGAR/UP-GZB

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP46696161523047W

28-Jan-2024 04:38 PM

NEWIMPACC (SV)/ up14084904/ MODINAGAR/ UP-GZB

SUBIN-UPUP1408490489488112119432W

HARIOM KESHRI

Article 35 Lease

Not Applicable


ISHWAR SINGH TYAGI


HARIOM KESHRI

HARIOM KESHRI

(One Hundred only)







किरायानामा

मैं इश्वर सिंह त्यागी पुत्र स्व0 श्री सिपात्तर सिंह त्यागी फलैट नं0 बी 2, दयावती कम्पलैक्स, मकनपुर, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उ०प्र0, 201014

——प्रथमपक्ष (मालिक) उत्प्राची

एव

हरिओम केसरी पुत्र श्री शंकर केसरी निवासी रामपुर, बाघेलान, सतना, म०प्र०, आधार कार्ड नं0 3438 2479 2373

—हितीयपक्ष (किरायेदार)

Elegan conti...

Statutory Alert:

2. The cruis of checking the legitimacy is on the users of the certificate a Tricase of any discrepancy please Inform the Competent Authority.

^{1.} The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shorespicon' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid

विदित हो कि प्रथमपक्ष की एक सम्पत्ति मकान का एक कमरा पोरशन स्थित फलैट नं0 बी 2, द्यावती कम्पलैक्स, मकनपुर, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उ०प्र०, 201014 पर स्थित है। जिसका मालिक व काबिज प्रथमपक्ष है। द्वितीयपक्ष ने उक्त सम्पत्ति को 11 माह के लिये प्रथमपक्ष से किराये पर

1- यह कि उक्त लिखित परिसर का मालिकाना हक प्रथमपक्ष का है और भविष्य में रहेगा।

- 2- यह कि उक्त सम्पत्ति का किराया दोनों पक्षों की सहमति से किराया अंकन 8,000/-रूपये प्रतिमाह का तय पाया गया है। जिसमें कमी बेशी का अधिकार किसी को नहीं होगा। किराया प्रत्येक माह 05 ता० को अदा करना होगा। बिजली, पानी बिल द्वितीयपक्ष द्वारा अतिरिक्त देय होगा।
- 3- यह कि किरायानामा केवल 11 माह के लिए है यदि दोनों पक्ष किरायेदारी तय अविध बढाना चाहेंगे तो पुनः 10 प्रतिशत से किराया बढ़ाकर नयी किरायेदारी चलाने के लिए सहमत होगें तो ही नयी किरायेदारी आरम्भ की जा सकती है।
 - यह कि द्वितीय पक्ष उक्त परिसर में केवल रिहायशी निजी प्रयोग हेतू प्रयोग में ही लायेगा। किसी अन्य कोशिकमी किराये पर नहीं देगा। द्वितीयपक्ष उक्त परिसर में कोई अनैतिक कार्य नहीं करेगा। यदि ऐसा करता है तो किरायेदारी से बेदखल होगा तथा किराया जब्त हो जायेगा।
 - यह कि द्वितीयपक्ष किसी परिसर में बिना अनुमित के कोई अवैध कार्य/तोड फोड/निर्माण नहीं करेगा। जिस कन्डीशन में मकान दिया जायेगा उसी कन्डीशन में खाली करना होगा।
 - 6- यह कि द्वितीयपक्ष की किरायेदारी दिनांक 01.04.2023 से 11 माह यानि 29.02.2024 तक कायम रहेगी। द्वितीयपक्ष द्वारा किरायेदारी की बाबत किरायेदारी के दौरान या बाद में कोई वाद विवाद योजित नहीं करेगा।
 - यह कि परिसर में छोटी-मोटी टूट-फूट रिपेयर द्वितीयपक्ष अपने खर्चे पर स्वयं करायेगा।
 - यह कि कोई पक्ष दो माह पूर्व सूचना देकर परिसर खाली कर/करवा सकता है।

054 र कि द्वितीयपक्ष अपना स्वयं हेतू ही परिसर इस्तेमाल कर सकता है जिसकी किसी भी प्रकार की व्यवसायि क / बैंकिंग लेनदारी, देनदारी व किसी भी सरकारी / गैर सरकारी विभाग की भी जिम्मेक्सी द्वितीयपक्ष की ही होगी। प्रथमपक्ष या उसकी सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

किरायेदारी के दौरान प्रथमपक्ष अपने मकान का निरीक्षण कर सकता है।

अतः यह किरायानामा लिख दिया गया ताकि सनद रहे और समय पर काम आये। इति

ह0 प्रथम पक्ष (मालिक)

ह0 गवाह

Aay ush Gupty

UDAIVIR SINGH Advocate/Notary Public IN 944. Civil Count G7. ह0 द्वितीय पक्ष (किरायेदार)

Augush Glepta